बिहार सरकार
कृषि विभाग।

संकल्प

विषयः— माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **LPA No. 1210/2013 एवं अन्य समविषयक LPA में पारित आदेश के आलोक में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के शिक्षकों/वैज्ञानिकों की सेवा निवृति की उम्र सीमा 62 वर्ष से 65 वर्ष करने के संबंध में निर्गत कृषि विभागीय संकल्प संख्या– 3660 दिनांकः 13.07.2012 के कंडिका 3 में लगाये गये शर्त्त को संलेख की कंडिका 4 के अनुसार संशोधित करने की स्वीकृति।**

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांकः 21.06.2012 को राज्य के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/वैज्ञानिकों की सेवा निवृत्ति की उम्र सीमा दिनांकः 30.06.2010 के प्रभाव से 62 वर्ष से 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। उक्त स्वीकृति को कृषि विभाग के संकल्प संख्या–3660 दिनांकः 13.07.2012 (अनुसूची–1 संलग्न) द्वारा अधिसूचित किया गया। उक्त संकल्प के कंडिका–3 में दिनांकः 30.06.2010 एवं नयी सेवा निवृति उम्र सीमा (65 वर्ष) लागू करने संबंधी आदेश निर्गत की तिथि (13.07.2012) के बीच सेवा निवृत होने वाले शिक्षकों/वैज्ञानिकों को पुनः सेवा में वापस लेने हेतु उनके द्वारा लिए गए सेवा निवृत लाभ एवं पेंशन की राशि लौटाने, सेवानिवृति की तिथि तथा पुनः योगदान की तिथि के बीच की अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत करने एवं कतिपय अन्य शर्त्त आरोपित किया गया।

2. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शर्त्तों के विरूद्ध डॉ० नव्ल किशोर चौधरी एवं अन्य द्वारा CWJC No. 17072/12 तथा अन्य शिक्षकों/वैज्ञानिकों के द्वारा CWJC No. 13570/12, 16614/2012, 16772/2012, 17347/12 एवं 16022/2012 दायर किया गया जिसमें दिनांक 23.07.2013 को न्यायादेश पारित किया गया। पुनः इस न्यायादेश के विरूद्ध डॉ० नवल किशोर चौधरी एवं अन्य द्वारा LPA No. 1210/2013 दायर किया गया। इसी मामले में अन्य शिक्षकों/वैज्ञानिकों द्वारा LPA No. 1361/2013, 1365/2013, 1367/2013 एवं 71/2014 भी दायर किया गया। उक्त सभी LPA में दिनांकः 15.05.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत कृषि विभाग के संकल्प संख्या–3660 दिनांकः 13.07.2012 की कंडिका 3 में उल्लेखित शर्त्त निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है,

पूर्व के संकल्प में निर्धारित शर्त्त	वर्तमान में संशोधित शर्त्त
3.(i) सर्वप्रथम आवेदक द्वारा सेवा निवृत के पश्चात् लिए गये सेवा निवृति लाभ यथा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले प्राप्त होने वाली नगद राशि, जी०पी०एफ०/सी०पी०एफ० की अंतिम निकासी की राशि, उपादान की राशि एवं पेंशन के रूप में पायी गयी राशि का एकमुश्त नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा वापस कर दिया जाएगा।	सर्वप्रथम आवेदक द्वारा सेवा निवृत के पश्चात् लिए गये सेवा निवृति लाभ यथा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले प्राप्त होने वाली नगद राशि, जी०पी०एफ०/सी०पी०एफ० की अंतिम निकासी की राशि, उपादान की राशि एवं पेंशन के रूप में पायी गयी राशि का एकमुश्त नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा वापस कर दिया जाएगा। **परन्तु जिनके द्वारा अबतक राशि वापस नहीं किया गया है, उन्हें राशि वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी। वार्द्धक्य सेवा निवृति के पश्चात देय पावनाओं में पूर्व में भुगतित राशि का सामंजन कर दिया जायेगा।**

3.(ii) पूर्व में सेवा निवृति की तिथि एवं पुनः योगदान की तिथि के बीच की अवधि को आवेदक द्वारा सेवाकाल में अर्जित उपार्जित अवकाश के विरूद्ध सवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर विनियमित किया जाएगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भी यदि कोई अवधि शेष बचती है तो उक्त शेष अवधि को बिना वेतन के असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत करते हुए पूर्ण अवधि को विनियमित किया जायेगा।	विलोपित किया जाता है।
(iii) पुनः योगदान करने पर आवेदक को सेवा निवृत होने की तिथि को प्राप्त मूल वेतन एवं ग्रेड पे के आधार पर ही वेतन भुगतान किया जायेगा।	पुनः योगदान करने पर आवेदक को वेतनादि का भुगतान उसी प्रकार किया जायेगा जैसे कि वे नियमित सेवा में रहते तो उन्हें अनुमान्य किया जाता।
(iv) पुनः योगदान करने पर आवेदक की वेतन वृद्धि / गत्यावरोध वेतन वृद्धि की तिथि अपरिवर्तित रहेगी।	पुनः योगदान करने पर आवेदक की वेतन वृद्धि / गत्यावरोध वेतन वृद्धि की तिथि अपरिवर्तित रहेगी(पूर्व की भांति यथावत)।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु तुरंत प्रकाशित किया जाए।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/1/16

(रामजी सिंह)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 4 / कृ०विधि–63 / 2013– 416 / कृ०, पटना दिनांक 27-01-2016

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजाबाग, पटना / उप सचिव, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति (सी.डी. एवं हार्ड कॉपी सहित) बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

27/1/16

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 4 / कृ०विधि–63 / 2013– 416 / कृ०, पटना दिनांक 27-01-2016

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/16

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 4 / कृ०विधि–63 / 2013– 416 / कृ०, पटना दिनांक 27-01-2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, वीर चन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/16

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 4 / कृ०विधि–63 / 2013– 416 / कृ०, पटना दिनांक 27-01-2016

प्रतिलिपि :– वित्त आयुक्त / विकास आयुक्त / कृषि उत्पादन आयुक्त / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कुलाधिपति, बिहार के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांकः 12.01.2016 के मद संख्या–08 में लिए निर्णय के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापाक :– 4 / कृ०विधि–63 / 2013– 416 / कृ०, पटना दिनांक 27-01-2016

प्रतिलिपि :– कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर / कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर / नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर / नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर / मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची-1

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

संकल्प

विषयः— राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के शिक्षकों/वैज्ञानिकों की सेवा निवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष से 65 वर्ष करने के संबंध में।

राज्य के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों यथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के शिक्षकों/वैज्ञानिकों के द्वारा यू०जी०सी० के अनुशंसा के आलोक में सेवा निवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष से 65 वर्ष करने हेतु मांग की जा रही थी। मांग पर विचार हेतु विभाग द्वारा विभागीय सचिव के अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षको/वैज्ञानिकों की सेवा निवृत्ति की उम्र सीमा दिनांक 30.06.2010 के प्रभाव से 62 वर्ष से 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त निर्णय के आलोक में दोनों कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अपने परिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाएगा एवं संशोधन की प्रत्याशा में इसे लागू किया जाएगा।

3. दिनांक 30.06.10 एवं नयी सेवा निवृत्ति उम्र सीमा (65 वर्ष) लागू करने संबंधी आदेश निर्गत की तिथि के बीच सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षक/वैज्ञानिक यदि पुनः सेवा में वापस लेने हेतु आवेदन देते है तो उन्हें निम्नांकित शर्त्त के साथ सेवा में वापस लिया जाएगाः—

i. सर्वप्रथम आवेदक द्वारा सेवा निवृत्त के पश्चात् लिए गये सेवा निवृत्ति लाभ यथा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले प्राप्त होने वाली नगद राशि, जी०पी०एफ०/सी०पी०एफ० की अंतिम निकासी की राशि, उपदान की राशि एवं पेंशन के रूप में पायी गयी राशि का एकमुश्त नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

ii. पूर्व में सेवा निवृत्ति की तिथि एवं पुनः योगदान की तिथि के बीच की अवधि को आवेदक द्वारा सेवाकाल में अर्जित उपार्जित अवकाश के विरूद्ध सवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर विनियमित किया जाएगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भी यदि कोई अवधि शेष बचती है तो उक्त शेष अवधि को बिना वेतन के असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत करते हुए पूर्ण अवधि को विनियमित किया जायेगा।

iii. पुनः योगदान करने पर आवेदक को सेवा निवृत्त होने की तिथि को प्राप्त मूल वेतन एवं ग्रेड पे के आधार पर ही वेतन भुगतान किया जायेगा।

iv. पुनः योगदान करने पर आवेदक की वेतन वृद्धि/गत्यावरोध वेतन वृद्धि की तिथि अपरिवर्तित रहेगी।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु तुरंत प्रकाशित किया जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा० एन० विजयलक्ष्मी)
सरकार के सचिव

190

ज्ञापांक–4/सचिवा०–कृ० वि०– 55/11 3660 कृ०/पटना, दिनांक 13 जूलाई, 2012

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ अविलम्ब उपलब्ध करायें।

सरकार के सचिव। 12/7/12

ज्ञापांक–4/सचिवा०–कृ० वि०– 55/11 3660 कृ०/पटना, दिनांक 13 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव। 12/7/12

ज्ञापांक–4/सचिवा०–कृ० वि०– 55/11 3660 कृ०/पटना, दिनांक 13 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीर चन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव। 12/7/12

ज्ञापांक–4/सचिवा०–कृ० वि०– 55/11 3660 कृ०/पटना, दिनांक 13 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि– वित्त आयुक्त/विकास आयुक्त/कृषि उत्पादन आयुक्त/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कुलाधिपति, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 03.07.2012 के मद संख्या–04 में लिए निर्णय के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव। 12/7/12

ज्ञापांक–4/सचिवा०–कृ० वि०– 55/11 3660 कृ०/पटना, दिनांक 13 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि– कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव। 12/7/12

5/22